

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी जिला करौली

मुकदमा नम्बर 327 / 2022

तारीख रजु: 15.11.2022

पीठारसीन अधिकारी: सुरेश कुमार हरसोलिया

क्रिया

R.A.S

सरकार

बनाम

गोपाल

रिगत प्रतिलिप्री

दावा बाबत घोषणा धारा 177 टीनेंसी एक्ट राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित:- 1. राजपैरोकार तहसीलदार हिण्डौन वादी

2. श्री अशोक नीमनका प्रतिवादी

प्रशासनिक अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
हिण्डौन, जिला-करौली

निर्णय

दिनांक 21.07.2023

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि राजपैरोकार एवं तहसीलदार हिण्डौन ने एक दावा अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इस आशय का प्रस्तुत किया है कि आराजी खसरा नम्बर 2405 रकबा 0.17 हेक्टेयर किस्म बरानी ए वाके कस्या हिण्डौन तहसील हिण्डौन में स्थित है जिसकी खातेदारी प्रतिवादी गोपाल पुत्र विशम्बर उम्र 48 साल जाति ब्राह्मण निवासी शास्त्री नगर बाईपास हिण्डौन जिला करौली के नाम राजस्व रिकॉर्ड जमावन्दी संवत् 2071-2074 में दर्ज है।

उक्त आराजी मौके पर काश्त के उपयोग में न आकर वैशाली पैराडाईज के नाम से अवैध मैरिज गार्डन संचालित कर बिना भू-संपर्तिर्न करवाये व्यावसायिक उपयोग में ली जा रही है जो कि विधि सम्मत नहीं है। कृषि भूमि को बिना संपर्तिर्न कराये अकृषि यथा आवासीय/वाणिज्यिक उपयोग में लिया जाना भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90ए के प्रावधानो का खुला उल्लघन है तथा ऐसी स्थिति में उपर्युक्त आराजी को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 के अन्तर्गत सिवायचक घोषित किया जाना विधि अनुरूप एवं न्याय संगत है। अतः उक्त आराजी को सिवायचक घोषित किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को नोटिस जारी किये गये। प्रत्युत्तर में प्रतिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 पेश किया जिसमें प्रतिवादी द्वारा उक्त आराजी स्वयं को विरासत में प्राप्त होकर काबिज होना तथा धारा 177 के प्रावधान लागू नहीं होने का कथन किया तथा प्रार्थना पत्र में कोई हेतुक प्रकट नहीं होने से वाद को आदेश 07 नियम 11 के तहत खारिज किये जाने का निवेदन किया जिसके जबाव में तहसीलदार हिण्डौन द्वारा जबाव प्रस्तुत कर पूर्वानुसार आराजी को बिना संपर्तिर्न के अकृषि उपयोग में लिये जाने के कारण काश्तकारी अधिनियम की धारा 1955 के प्रावधानो के तहत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 को खारिज किये जाने का निवेदन किया जिसके परिणाम में प्रार्थना पत्र खारिज किया गया।

प्रतिवादी द्वारा जबावदावा प्रस्तुत कर विवादित आराजी में कोई भी व्यावसायिक उपयोग में लिये जाने का तथ्य अस्वीकार किया तथा दावे में प्रस्तुत तथ्यों के संदर्भ में अपनी असहमति व्यक्त की गई साथ ही विशेष विवरण में कथन किया कि विवादित आराजी के घनी आबादी और कॉलोनी बसा जाने के कारण उपरोक्त भूमि को कृषि से अकृषि भू-संपर्तिर्न हेतु नगरपरिषद हिण्डौन के यहाँ पत्रावली क्रमांक 4986 तारिखी 25.11.2019 पेश की हुई है जिस पर नगरपरिषद द्वारा आदिनांक तक न कोई कायवाही की गई है और न ही प्रतिवादी को उसकी नकल उपलब्ध करायी गयी है। प्रतिवादी ने कथन किया कि उक्त आराजी को 25 साल पूर्व से पाटरपौश बनाकर रिहायिश के उपयोग में लेता था तथा 2010 में रिहायिश हेतु पक्का मकान निर्माण कर (करीब) इसी प्रकार उसका विस्तार कर आराजी ने टीनशेड, बरामदा, 2 मंजिला मकान, गार्डन एवं पक्के फर्श का निर्माण कर लिया तथा विद्युत कनेक्शन करवा लिया जिसे वह लगातार अपने

अधिकारी

को

उपयोग में लेता आ रहा है और इसी स्थल के पते के रूप में अपने विभिन्न दस्तावेज बनवा लिये। प्रतिवादी की रिहायिश कस्बा हिण्डौन की प्राईम लोकेशन बाईपास हिण्डौन सिटी के पास स्थित होने के कारण भू-माफिया किरम के लोग नगरपरिषद से साठ गांठ कर इसे खरीदना चाहते हैं जबकि यह प्रतिवादी की पैतृक सम्पत्ति है। उपयुक्त दबाव के कारण भू-माफियाओं की सह पर नगरपरिषद हिण्डौन प्रतिवादी पर अवैध दबाव बनाने की गर्ज से प्रतिवादी की सम्पत्ति को धारा 177 आरटी एक्ट के प्रावधानों का गलत उपयोग कर तोड़ना चाहते हैं। प्रतिवादी ने जबाब के मद संख्या 09 में यह भी कथन किया है कि उसकी रिहायशी भूमि खसरा नम्बर 2504 के चारों तरफ आबादी हो चुकी है। इसलिए वहाँ काश्त करना किन्ही भी परिस्थिति में संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में धारा 177 की कार्यवाही वैधानिक नहीं है तथा सम्पूर्ण मेटेरियल फँक्ट को छिपाकर हाईड एण्ड सीक के प्रिन्सिपल के आधार पर उक्त वाद प्रस्तुत किये जाने के कारण खारिज योग्य है। साथ ही जबाब के मद संख्या 11 में उपयुक्त अराजी बावत् एक स्थाई निषेधाज्ञा उनवानी गोपाल बनाम सरकार न्यायालय श्रीमान सी0जे0 एण्ड जे0एम0 साहव हिण्डौन की अदालत में विचाराधीन होना तथा उक्त खसरे की सम्पूर्ण भूमि बावत् स्थगन आदेश पारित किया जाना कथित किया है। उपयुक्त तथ्यों के प्ररिपेक्ष्य में प्रतिवादी ने दावे को खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण में जबाब प्रतिवादी शामिल पत्रावली किया जाकर निम्नानुसार तनकीयात कायम की गई।

1. आया प्रतिवादी ने खसरा नं. 2405 रकबा 17 ऐयर किरम वारानी स्थित कस्बा हिण्डौन तहसील हिण्डौन की भूमि को कृषि में उपयोग न कर उस पर वैशाली पैराडाईज अवैध मैरिज गॉर्डन संचालित कर भूमि का बिना भू-रूपान्तरण कराये व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है जो धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का उल्लंघन होने से भूमि को सिवायचक किया जावे।

जिम्मे वादी

2. आया उक्त प्रकरण को सुनने का अधिकार न्यायालय हाजा को प्राप्त नहीं है।

जिम्मे प्रतिवादी

3. आया विवादित भूमि खसरा नं. 2405 रकबा 17 ऐयर स्थित कस्बा हिण्डौन के बावत् प्रतिवादी द्वारा नगरपरिषद हिण्डौन ने भू-संपरिवर्तन हेतु पत्रावली क्रमांक 3986 दिनांक 25.11.2019 से पेश होने पर विचाराधीन होने के कारण उक्त कार्यवाही (प्रकरण चलने योग्य नहीं है।)

जिम्मे प्रतिवादी

4. आया उक्त प्रकरण म्याद बाहर है।

जिम्मे प्रतिवादी

5. आया विवादित भूमि खसरा नं. 2405 रकबा 17 ऐयर स्थित कस्बा हिण्डौन के सम्बन्ध में सिविल न्यायालय हिण्डौन में नियमित मुकदमा गोपाल बनाम सरकार विचाराधीन होने से और उक्त भूमि पर न्यायालय से स्थगन आदेश होने से उक्त प्रकरण न्यायालय हाजा चलने योग्य नहीं है।

जिम्मे प्रतिवादी

उपर्युक्तानुसार पत्रावली पर तहसीलदार हिण्डौन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों तथ्यों संगलन फर्द मौका ग्राम हिण्डौन ए बी सी डी के अनुसार उपरोक्त अराजी पर अवैध मैरिज गार्डन संचालित है जिसे किसी भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा संपरिवर्तित करवाने का आदेश पत्रावली पर प्रस्तुत करने में प्रतिवादी असफल रहा है। अतः तनकीयात का बिन्दु संख्या एक वादी के पक्ष में सावित है।

जिम्मे प्रतिवादी  
सिटी (करोली)

दुई अराजी खसरा नं. 2405 रंकवा 0.17 हैक्टयर उपलब्ध जमाबन्दी एवं अभिलेखों के अनुसार कृषि भूमि है। अतः न्यायालय को राजस्व के सभी विवादों को श्रवण योग्य होने के कारण सुनने का अधिकार प्राप्त है। उक्त तनकी प्रतिवादी के विरुद्ध साबित है।

• विवादित भूमि की संपरिवर्तन पत्रावली क्रमांक 3986 दिनांक 25.11.2019 नगरपरिषद हिण्डौन में विचाराधीन होने के कारण प्रकरण चलने योग्य नहीं है। इस तथ्य के पक्ष में प्रतिवादी द्वारा पत्रावली पर कोई भी अभिप्रमाणित साक्ष्य उपलब्ध नहीं करवा पाने के कारण तनकी प्रतिवादी के विरुद्ध साबित है।

प्रकरण मियाद बाहर है। तनकी के पक्ष में प्रतिवादी द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं। अतः प्रतिवादी के विरुद्ध साबित है।

विवादित भूमि के सम्बन्ध में सिविल न्यायालय हिण्डौन में मुकदमा विचाराधीन होना एवं स्थगन आदेश पारित होने के पक्ष में प्रतिवादी द्वारा कोई साक्ष्य एवं अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः तनकी प्रतिवादी के विरुद्ध साबित है।

इसी प्रकार तहसीलदार हिण्डौन द्वारा दावे के पक्ष में जमाबन्दी संवत् 2071-74 की प्रमाणित प्रति, फर्द मौका ग्राम हिण्डौन ए बी सी डी दिनांक 07.11.2022 की मूल प्रति आदि प्रस्तुत की है तथा दौराने साक्ष्यवादी अपने साक्ष्य में विवादित आराजी का मैरिज गार्डन के रूप में उपयोग में लिया जाना कथन किया है। साथ ही दौराने दावा यह अवगत कराया गया है कि दिनांक 04.07.2023 की स्थिति में रिपोर्ट मुताबिक पटवारी करवा हिण्डौन उक्त आराजी का उपयोग आवासीय प्रयोजनार्थ किया जा रहा था।

तदुपरान्त प्रकरण में प्रतिवादी के साक्ष्य बन्द कर अन्तिम बहस हेतु तारीख पेशी दिनांक 21.07.2023 नियत की गई। बहस सुनी गई जिसमें वादी ने कथन किया कि प्रश्नगत आराजी बिना किसी सक्षम तथा विधिक आदेश के अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में ली जा रही है तथा मौके पर मैरिज हॉल के रूप में व्यावसायिक प्रयोजन हेतु तथा दौराने वाद आवासीय संरचना स्वरूप देकर आवासीय प्रयोजन में काम में लिया जाना दर्शाया जा रहा है जो कि राजस्थान शासककारी अधिनियम 1955 की धारा 177 का स्पष्ट उल्लंघन है। अतः आराजी को राज्य सरकार के हित में सिवायचक घोषित कर रकबा राज लिया जाना चाहिए। जबाब में अप्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा उपर्युक्त आराजी को विरासत में प्राप्त होना तथा कृषि एवं उसके कृषि सह गतिविधियों में प्रतिवादी में लिया जाना बताते हुए प्रार्थना पत्र को निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

अधिकाधिक बहस सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों और साक्ष्यों का अवलोकन किया गया। प्रकरण में वादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट तथ्यों मौका रिपोर्ट एवं अन्य अभिलेखों एवं साक्ष्यों से विवादित कृषि भूमि का बिना भू-संपरिवर्तन करवाये अकृषि प्रायोजन हेतु उपयोग में लिया जाना बखूबी साबित है। प्रतिवादी द्वारा पर्याप्त अवसर दिये जाने के पश्चात् भी साक्ष्य नहीं कराये गये तथा अपने जबाबदावे में प्रस्तुत तथ्यों के पक्ष में किसी प्रकार का कोई दस्तावेज/अभिलेख/साक्ष्य आदि जबाबदावे के साथ भी प्रस्तुत नहीं किया है।

जबाबदावे के मद संख्या 5 के कथनानुसार नगरपरिषद में विचाराधीन संपरिवर्तन पत्रावली क्रमांक 3986 तारीखी 25.11.2019 पेश की हुई है परन्तु 25.11.2019 से आदिनांक तक लगभग 4 वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात् भी पत्रावली क्यों और किस स्तर पर लम्बित है अथवा किस रिपोर्ट/दस्तावेज/प्रावधान के अभाव में संपरिवर्तित किये जाने योग्य भी है अथवा नहीं है, इस बावत् कोई अभिलेख/साक्ष्य पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं है।

जबाबदावे के मद संख्या 6 के कथनानुसार प्रतिवादी स्वयं ही 25 साल से निरन्तर पाटौरपोश अथवा पक्का मकान, विद्युत कनेक्शन सहित रहते आने का दावा कर रहा है तथा आवास एवं पते के विभिन्न दस्तावेज बनवा रखे हैं जिससे स्वयं सिद्ध है कि भूमि का उपयोग आवासीय कार्य में लिया जा रहा है।

अधिकारी  
(कॉपी)


मद संख्या 7 में नगरपरिषद हिण्डौन द्वारा भू-माफियाओं के साथ साठ गांठ कर प्रतिवादी की भूमि को हड़पने का अदेशा बताया गया है जो कि वादी द्वारा प्रस्तुत दावे से किस प्रकार सम्बद्ध है, समझ से परे है।

मद संख्या 9 में प्रतिवादी द्वारा स्वयं ये कथन करना कि चारों तरफ आवादी होने के कारण आराजी का कृषि उपयोग किन्ही भी परिस्थितियों में संभव नहीं है। इसी बात का प्रमाण है कि आराजी का विधिक रूप से संपरिवर्तन करवाया जाना चाहिए जो कि नहीं करवाया गया है।


मद संख्या 10 के अनुसार वाद सम्पूर्ण मैटेरियल फक्ट को छिपा कर हाईड एण्ड सीक के प्रिन्सिपल के आधार पर प्रस्तुत किया जाना बताया है परन्तु कौनसे तथ्य किस स्तर पर छिपाये गये हैं, इस बात का कोई उल्लेख नहीं है।


इसी प्रकार मद संख्या 11 के अनुसार खसरा नम्बर 2405 के सम्पूर्ण हिस्से पर न्यायालय श्रीमान सी0जे0 एण्ड जे0एम0 साहब हिण्डौन की अदालत में विचाराधीन एवं स्थगन आदेश पारित किया होना बताया है परन्तु इस बावत् विचाराधीन प्रकरण की अथवा स्थगन आदेश की प्रति उपलब्ध करवाने में प्रतिवादी असफल रहा है।

अतः सम्पूर्ण विवेचन के पश्चात् हम वादी का प्रार्थना पत्र धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाना न्यायोचित समझते हैं। अतः आराजी खसरा नम्बर 2405 रकबा 0.17 हेक्टेयर किरम बाराणी ए को सिवायचक घोषित कर कब्जे राज लिये जाने के आदेश पारित किये जाते हैं। तदनुसार तहसीलदार हिण्डौन को तहरीर जारी हों। निर्णय खुली अदालत में सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिज दफ्तर हों।

  
मिलान किया

प्रमाणित प्रतिलिपी

  
सहायक न्यायाधीश प्रथम श्रेणी  
कार्यालय उपखण्ड अधिकारी  
हिण्डौन, जिला-करौली

  
(सुरेश कुमार हरसोलिया)  
उपखण्ड अधिकारी  
हिण्डौन नगरपालिका कार्यालय